न्यायालयः–अपर सेशन न्यायाधीश सादुलशहर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	:–	दीपा शर्मा, R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:–	173/2022 (46/2017)
सी.आई.एस. नंबर	:–	173/2022
सी.एन.आर. नंबर	:–	RJSG240003762022

राजस्थान राज्य

––अभियोगी

बनाम

(1) मांगीलाल पुत्र श्री बृजलाल, उम्र–23 वर्ष (आरोप–पत्र प्रस्तुति के समय) निवासी–चोटियावाली ढाणी, पुलिस थाना–सदर हनुमानगढ़, जिला–हनुमानगढ़ (राज.)। **(मफरूर)**

(2) राजू मान पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, उम्र–26 वर्ष (आरोप–पत्र प्रस्तुति के समय), निवासी–सहजीपुरा, पुलिस थाना–सदर हनुमानगढ़, जिला–हनुमानगढ़ (राज.)।

––अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/15 सपठित धारा 29

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थित :–

1– श्री मेजर सिंह–विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

2– श्री गोपाल सिंह–विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त राजू मान की ओर से।

–निर्णय–

दिनांकः– 18.06.2025

01. थानाधिकारी, पुलिस थाना–लालगढ़ जाटान, जिला–श्रीगंगानगर (राज.) की ओर से जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, अभियुक्त मांगीलाल एवं राजू मान के विरूद्ध धारा 8/15, 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे

एतस्मिन् पश्चात् एन.डी.पी.एस. एक्ट सम्बोधित किया जाएगा) के तहत अपराधों का आरोप–पत्र माननीय न्यायालय –विशिष्ट न्यायाधीश , एन.डी.पी.एस. प्रकरण, श्रीगंगानगर(राज.) में प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर(राज.) के कार्यालय आदेश क्रमांक 32/सामान्य/2022 दिनांकित 09.06.2022 से हस्तगत प्रकरण के अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मांगीलाल मफरूर है, इसलिये इस निर्णय के द्वारा अभियुक्त राजू मान की हद तक ही प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत एवं आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2017 को वक्त 2.10 पी.एम. पर एस.एच.ओ. गुरमेल सिंह एस.आई. मय महावीर सिंह एच.सी. 2065, जयविन्द्र सिंह एफ.सी. 1394, ओमप्रकाश एफ.सी. 894 व जीप सरकारी चालक बलवीर सिंह, वास्ते करने गश्त रवाना मम्मड़खेड़ा व जमीयत सिंह वाला को हुआ। इलेक्ट्रॉनिक भौतिक तुला व अनुसंधान बॉक्स को साथ लिया गया। गाँव–लालगढ़ में गश्त करता हुआ गुरमेल सिंह हनुमानगढ़ रोड़ पर सदाबहार होटल के पास वक्त 2.40 पी.एम. पर पहुँचा, तो एस.डी.पी. नहर पटरी पर पश्चिमी दिशा से एक व्यक्ति अपने बायें कंधे पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा लिये आता दिखाई दिया, जो अचानक पुलिस जीप में पुलिस पार्टी को देखकर घबरा कर कंधा से कट्टा को उतारकर पैरों के बीच में छुपाने की कोशिश कर, बैठकर अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश करने लगा, जिस पर शक होने पर उसने जीप को रूकवाकर साथी मुलाजमान की मदद से उक्त शक्स को घेरा देकर काबू किया व नाम–पता पूछा, तो उसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र बृजलाल, उम्र–23 वर्ष, निवासी–चोटियावाली ढाणी, पी.एस.–सदर हनुमानगढ़ बताया, जिससे इस तरह पुलिस को देखकर अपनी मौजूदगी छिपाने का कारण व कट्टे में

क्या है?, बाबत् पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप रहा। उसकी तलाशी लिये जाने हेतु स्वतंत्र गवाह देखा, तो होटल सदाबहार के आगे दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये, जिनको आवाज देकर पास बुलाया गया व उनसे नाम-पता पूछा, तो एक ने अपना नाम हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, जाति-जटसिख, उम्र-48 वर्ष, निवासी-उत्तमसिंहवाला व दूसरे ने विनोद पुत्र बृजलाल, जाति-जाट, उम्र-34 वर्ष, निवासी-पन्नीवाली बताया। उक्त दोनों गवाहान को तलाशी व कार्यवाही के दौरान साथ रहने के लिए अलग-अलग नोटिस दिये गये, जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने तलाशी व कार्यवाही के दौरान साथ रहने की लिखित सहमति दी। इस पर एस.एच.ओ. के द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान की तलाशी ली गयी तथा उसने अपनी एवं अपने साथी मुलाजमान की तलाशी स्वतंत्र गवाहान को दी, तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् एस.एच.ओ. के द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान व मुलाजमान, शक्स मांगीलाल के कब्जा से सफेद प्लास्टिक के कट्टा को कब्जा पुलिस में लिया जाकर खोलकर देखा गया, तो कट्टा के अंदर डोडा पोस्त भरा था। स्वतंत्र गवाहान व मुलाजमान को चेक करवाया गया, तो उन्होंने भी कट्टा के अंदर डोडा पोस्त होना बताया। इस पर शक्स मांगीलाल से अपने कब्जे में डोडा पोस्त को रखने/परिवहन करने के लाइसेंस/परमिट का पूछा गया, तो उसने अपने पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं होना बताया। इस प्रकार शक्स मांगीलाल द्वारा अपने कब्जा में अवैध डोडा पोस्त को रखना धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाया गया। तत्पश्चात् बरामदा डोडा पोस्त का वजन किया गया, तो डोडा पोस्त का कट्टा सहित वजन 8 किलोग्राम हुआ। तत्पश्चात् बरामदा डोडा पोस्त में से 100-100 ग्राम डोडा पोस्त, बतौर सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल दो अलग-अलग प्लास्टिक की थैलियों में निकालकर उन्हें दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर सील मोहर कर उन पर क्रमशः मार्क-ए व

मार्क-बी अंकित किया गया। शेष 7 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त को उसी सफेद प्लास्टिक के कट्टा में बतौर वजह सबूत सील मोहर कर मार्क-सी अंकित किया गया। शक्स मांगीलाल को गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। चिट दस्खती वक्त 4.00 पी.एम. पर अलग से तैयार कर नमूना सील फर्द के हाशिया पर अंकित की गई। बरामदगी की कार्यवाही में प्रयुक्त एस.एच.ओ. की व्यक्तिगत सील की फर्द सील नष्ट तैयार कर, सील को मौका पर नष्ट किया गया। नजरी नक्शा बरामदगी स्थल अलग से तैयार किया गया-इत्यादि।

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना -लालगढ़ जाटान में प्रकरण/एफ.आई.आर. संख्या-199/2017 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध में दर्ज किया गया एवं बाद अनुसंधान उपरोक्त अभियुक्त मांगीलाल एवं राजू मान के विरूद्ध धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराधों का आरोप-पत्र माननीय न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, श्रीगंगानगर(राज.) में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त न्यायालय के द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध होने से उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया गया।

03. माननीय न्यायालय-विशिष्ट न्यायाधीश ,एन.डी.पी.एस. प्रकरण, श्रीगंगानगर (राज.) के द्वारा दिनांक 18.12.2017 को उभयपक्षों की बहस आरोप सुनकर अभियुक्त मांगीलाल को धारा 8/15, 8/15 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराधों का तथा अभियुक्त राजू मान को धारा 8/15 सपठित धारा 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो

अभियुक्तगण उक्त के द्वारा आरोप सुन-समझ कर अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

04. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त मांगीलाल एवं राजू मान पर आरोपित अपराधों की सिद्धि हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को पेश कर परीक्षित करवाया गयाः-

क्र.सं.	गवाह संख्या	गवाह का नाम	क्र.सं.	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1.	P.W. 1	राजेन्द्र कुमार	7.	P.W. 7	राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल
2.	P.W. 2	नरेन्द्र कुमार	8.	P.W. 8	जन्टा सिंह
3.	P.W. 3	महावीर प्रसाद	9.	P.W. 9	गुरमेल सिंह
4.	P.W. 4	विनोद कुमार	10.	P.W.10	ओमप्रकाश
5.	P.W. 5	जयविन्द्र सिंह	11.	P.W. 11	हरजिन्द्र सिंह
6.	P.W. 6	सतनाम सिंह	12.	P.W.12	महावीर सिंह

और इसी प्रकार से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित प्रलेखों को प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र.सं.	प्रलेख/दस्तावेज संख्या	प्रलेख/दस्तावेज का नाम
1.	प्रदर्श पी-1	रोजनामचा रवानगी
2.	प्रदर्श पी-2	तथ्यात्मक रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी-3	रोजनामचा आमद
4.	प्रदर्श पी-4	रोजनामचा रवानगी
5.	प्रदर्श पी-5	प्राप्ति रसीद
6.	प्रदर्श पी-6	रोजनामचा आमद
7.	प्रदर्श पी-7	एस.एच.ओ. की तहरीर
8.	प्रदर्श पी-8	अग्रेषण-पत्र की कार्बन प्रति
9.	प्रदर्श पी-9	प्रमाणित चिट दस्खती नमूना सील
10.	प्रदर्श पी-10 व 10ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
11.	प्रदर्श पी-11	नोटिस गवाह विनोद

12.	प्रदर्श पी–12	नोटिस अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट अभियुक्त मांगीलाल
13.	प्रदर्श पी–13	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त मांगीलाल
14.	प्रदर्श पी–14	फर्द बरामदगी
15.	प्रदर्श पी–15	फर्द सील नष्ट
16.	प्रदर्श पी–16	बयान गवाह विनोद
17.	प्रदर्श पी–17	नजरी नक्शा बरामदगी स्थल
18.	प्रदर्श पी–18	नक्शा मौका
	प्रदर्श–18 ए	हालात मौका
19.	प्रदर्श पी–19	फर्द निशान देही अजाने अभियुक्त मांगीलाल
20.	प्रदर्श पी–20	नक्शा मौका सौदा स्थल
	प्रदर्श पी–20 ए	हालात मौका
21.	प्रदर्श पी–21	नोटिस अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट अजाने अभियुक्त राजू मान
22.	प्रदर्श पी–22	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अजाने अभियुक्त राजू मान
23.	प्रदर्श पी–23	फर्द खाना तलाशी मकान राजू मान
24.	प्रदर्श पी–24	बयान गवाह सतनाम सिंह
25.	प्रदर्श पी–25	फर्द इत्तला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम मांगीलाल
26.	प्रदर्श पी–26	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
27.	प्रदर्श पी–27, 28 एवं 29	रोजनामचा रवानगी व आमद
28.	प्रदर्श पी–30	नोटिस गवाह हरजिन्द्र सिंह
29.	प्रदर्श पी–31	एफ.आई.आर.
30.	प्रदर्श पी–32	भौतिक सत्यापन बाबत् प्रार्थना–पत्र
31.	प्रदर्श पी–33	वजह सबूत की लिस्ट
32.	प्रदर्श पी–34	भौतिक सत्यापन बाबत् रिपोर्ट
33.	प्रदर्श पी–35 ता 40	भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स
34.	प्रदर्श पी–41 ता 47	रवानगी व आमद की नकलें
35.	प्रदर्श पी–48	चिट दस्खती नमूना सील

36.	प्रदर्श पी-49	बयान गवाह हरजिन्द्र सिंह

05. अभियुक्त मांगीलाल एवं राजू मान का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, तो उन्होंने अभियोजनपक्ष के गवाहों के बयानों का गलत होना बताते हुए अपने आपको निर्दोष बताया। इसके पश्चात् अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही, जिस पर उक्त अभियुक्तपक्ष के निवेदन पर ही साक्ष्य सफाई (प्रतिरक्षा साक्ष्य) बन्द की गई। इसके पश्चात् अभियुक्त मांगीलाल को मफरूर घोषित किया गया।

06. अभियुक्त राजू मान की हद तक बहस अंतिम सुनी गई।

07. दौराने बहस, उपस्थित उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

(1) क्या अभियुक्त राजू मान ने दिनांक 18.07.2017 को करीब 2.40 पी.एम. से 4.30 पी.एम. के मध्य पुलिस थाना-लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर की सीमाओं में अवस्थित हनुमानगढ़ रोड़ सदाबहार होटल के पास अथवा इससे पूर्व किसी समय, डोडा पोस्त के क्रय-विक्रय हेतु परस्पर सहमत होकर सह-अभियुक्त मांगीलाल को डोडा पोस्त विक्रय कर आपराधिक षड़यंत्र कारित किया, जिसके अनुसरण में दिनांक 18.07.2017 को समय करीब 2.40 पी.एम. से 4.30 पी.एम. के मध्य, पुलिस थाना-लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर की सीमाओं में अवस्थित हनुमानगढ़ रोड़ सदाबहार होटल के पास सह-अभियुक्त मांगीलाल के हाथ में पकड़े कट्टे से अर्थात् उसके अनन्य व सचेतन कब्जे से 8 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसको रखने का उसके, सह-अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र एवं

लाइसेंस नहीं था ?

(2) यदि हॉ, तो अभियुक्त उक्त किस दण्ड से दण्डनीय है?

इस सम्बन्ध में यदि हम अभियोजन मामले को देखें, तो अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 18.07.2017 को वक्त 2.10 पी.एम. पर एस.एच.ओ. गुरमेल सिंह एस.आई. मय महावीर सिंह एच.सी. 2065, जयविन्द्र सिंह एफ.सी. 1394, ओमप्रकाश एफ.सी. 894 व जीप सरकारी चालक बलवीर सिंह, वास्ते करने गश्त रवाना मम्मड़खेड़ा व जमीयत सिंह वाला को हुआ। इलेक्ट्रॉनिक भौतिक तुला व अनुसंधान बॉक्स को साथ लिया गया। गाँव-लालगढ़ में गश्त करता हुआ गुरमेल सिंह हनुमानगढ़ रोड़ पर सदाबहार होटल के पास वक्त 2.40 पी.एम. पर पहुँचा, तो एस.डी.पी. नहर पटरी पर पश्चिमी दिशा से एक व्यक्ति अपने बायें कंधे पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा लिये आता दिखाई दिया, जो अचानक पुलिस जीप में पुलिस पार्टी को देखकर घबरा कर कंधा से कट्टा को उतारकर पैरों के बीच में छुपाने की कोशिश कर, बैठकर अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश करने लगा, जिस पर शक होने पर उसने जीप को रूकवाकर साथी मुलाजमान की मदद से उक्त शक्स को घेरा देकर काबू किया व नाम-पता पूछा, तो उसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र बृजलाल, उम्र-23 वर्ष, निवासी-चोटियावाली ढाणी, पी.एस.-सदर हनुमानगढ़ बताया, जिससे इस तरह पुलिस को देखकर अपनी मौजूदगी छिपाने का कारण व कट्टे में क्या है?, बाबत् पूछा, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप रहा। उसकी तलाशी लिये जाने हेतु स्वतंत्र गवाह देखा, तो होटल सदाबहार के आगे दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये, जिनको आवाज देकर पास बुलाया गया व उनसे नाम-पता पूछा, तो एक ने अपना नाम हरजिन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, जाति-जटसिख, उम्र-48 वर्ष, निवासी-उत्तमसिंहवाला व दूसरे ने विनोद पुत्र बृजलाल, जाति-जाट, उम्र-34 वर्ष, निवासी-पन्नीवाली बताया। उक्त दोनों गवाहान को तलाशी व कार्यवाही के दौरान

साथ रहने के लिए अलग-अलग नोटिस दिये गये, जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने तलाशी व कार्यवाही के दौरान साथ रहने की लिखित सहमति दी। इस पर एस.एच.ओ. के द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान की तलाशी ली गयी तथा उसने अपनी एवं अपने साथी मुलाजमान की तलाशी स्वतंत्र गवाहान को दी, तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् एस.एच.ओ. के द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान व मुलाजमान, शक्स मांगीलाल के कब्जा से सफेद प्लास्टिक के कट्टा को कब्जा पुलिस में लिया जाकर खोलकर देखा गया, तो कट्टा के अंदर डोडा पोस्त भरा था। स्वतंत्र गवाहान व मुलाजमान को चेक करवाया गया, तो उन्होंने भी कट्टा के अंदर डोडा पोस्त होना बताया। इस पर शक्स मांगीलाल से अपने कब्जे में डोडा पोस्त को रखने/परिवहन करने के लाइसेंस/परमिट का पूछा गया, तो उसने अपने पास कोई लाइसेंस/परमिट नहीं होना बताया। इस प्रकार शक्स मांगीलाल द्वारा अपने कब्जा में अवैध डोडा पोस्त को रखना धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाया गया। तत्पश्चात् बरामदा डोडा पोस्त का वजन किया गया, तो डोडा पोस्त का कट्टा सहित वजन 8 किलोग्राम हुआ। तत्पश्चात् बरामदा डोडा पोस्त में से 100-100 ग्राम डोडा पोस्त, बतौर सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल दो अलग-अलग प्लास्टिक की थैलियों में निकालकर उन्हें दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर सील मोहर कर उन पर क्रमशः मार्क-ए व मार्क-बी अंकित किया गया। शेष 7 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त को उसी सफेद प्लास्टिक के कट्टा में बतौर वजह सबूत सील मोहर कर मार्क-सी अंकित किया गया। शक्स मांगीलाल को गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार किया गया। चिट दस्खती वक्त 4.00 पी.एम. पर अलग से तैयार कर नमूना सील फर्द के हाशिया पर अंकित की गई। बरामदगी की कार्यवाही में प्रयुक्त एस.एच.ओ. की व्यक्तिगत

सील की फर्द सील नष्ट तैयार कर, सील को मौका पर नष्ट किया गया। नजरी नक्शा बरामदगी स्थल अलग से तैयार किया गया। उक्त कथित बरामदगी की कार्यवाही के सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-14 को तैयार किया गया। अभियुक्त राजू मान के सम्बन्ध में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-14 का यदि हम अवलोकन करें, तो इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि कथित बरामदगी के समय, बरामदगी स्थल पर सह-अभियुक्त मांगीलाल के द्वारा इस आशय की सूचना दी गयी थी कि उसने, उससे बरामदशुदा कथित डोडा पोस्त को अभियुक्त राजू मान से खरीदा था। इसके अलावा मौका पर उससे, इस बाबत् कोई पूछताछ का किया जाना भी उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-14 से कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अब इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य को यदि हम देखें, तो इस सम्बन्ध में बरामदगीकर्ता गुरमेल सिंह, जो कि अभियोजनपक्ष की ओर से बहैसियत गवाह पी.ड. 9 पेश हो परीक्षित हुआ है, ने अपने बयान में इस बात को स्पष्ट तौर पर सही बताया है कि इसने राजू मान से किसी भी सामग्री की बरामदगी नहीं की और ना ही मौका की कार्यवाही में राजू मान के बारे में इसे मांगीलाल ने बताया। इसके अलावा इसने इस आशय का भी कहीं कोई कथन अपने बयान में नहीं किया है कि इसने मौका पर सह -अभियुक्त मांगीलाल से, उससे बरामदशुदा कथित डोडा पोस्त की खरीद इत्यादि के बारे कोई पूछताछ की हो और इस बाबत् विधिनुसार कोई पूछताछ नोट तैयार किया हो। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि कथित बरामदगी के वक्त मौका पर सह - अभियुक्त मांगीलाल ने इस बाबत् कोई कथन नहीं किया था कि वह, उससे बरामदशुदा कथित डोडा पोस्त अभियक्त राजू मान से खरीद कर लाया था और ना ही इस बाबत् कोई पूछताछ ही उससे मौका पर की गयी थी। अब इसी क्रम में यदि हम अभियोजनपक्ष की ओर से पेश हो परीक्षित हुए गवाह पी.ड. 4 विनोद कुमार, गवाह पी.ड. 5 जयविन्द्र

सिंह, गवाह पी.ड. 10 ओमप्रकाश, गवाह पी.ड. 11 हरजिन्द्र सिंह एवं गवाह पी.ड. 12 महावीर सिंह के बयानों को देखें, जिनकी उपस्थिति मौका पर कथित बरामदगी के समय अभियोजनपक्ष बताकर आ रहा है, तो इन सभी गवाहों ने भी अपने बयानों में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि कथित बरामदगी के समय बरामदगी स्थल पर सह-अभियुक्त मांगीलाल से, उससे बरामदशुदा कथित डोडा पोस्त के खरीद इत्यादि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ की गयी हो और उसने यह बताया हो कि वह, उक्त डोडा पोस्त, अभियुक्त राजू मान से खरीद कर लाया था।

अब इस सम्बन्ध में यदि हम अभियोजनपक्ष की ओर से पेश हो परीक्षित हुए गवाह पी.ड. 7 राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल, अनुसंधान अधिकारी, के बयान को देखें, तो इसने इस सम्बन्ध में अपने बयान में इस आशय के कथन किये है कि दिनांक 19.07.2017 को मांगीलाल के द्वारा इसे पूछताछ में बताया गया कि उसने डोडा पोस्त गाँव-सहजीपुरा से राजू मान से खरीद किया था, जिसकी फर्द इत्तला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत तैयार की, जो प्रदर्श पी-25 है, जिस पर 'ए से बी' इसके, 'सी से डी' अभियुक्त मांगीलाल के हस्ताक्षर है। दिनांक 30.07.2017 को मुल्जिम मांगीलाल, ने सहजीपुरा में खेत में बनी एक ढाणी में पहुँच कर हाथ से ईशारा कर बताया कि उक्त मकान राजू का है। उस मकान से एक व्यक्ति बाहर निकलकर आया , तो मांगीलाल ने उसे राजू मान होना शिनाख्त किया। फर्द निशानदेही प्रदर्श पी-19 है, जिस पर 'सी से डी' इसके, 'ई से एफ' मांगीलाल, 'जी से एच' जन्टा सिंह, 'आई से जे' राजू के हस्ताक्षर है। सौदा स्थान का नक्शा मौका 20.07.2017 को बनाया गया, जो प्रदर्श पी-20 है, जिस पर 'सी से डी' इसके, 'ई से एफ' मांगीलाल, 'जी से एच' जन्टा सिंह, 'आई से जे' राजू के हस्ताक्षर है। नक्शा-मौका के आधार पर हालात-मौका बनाया गया, जो प्रदर्श पी-20 ए है, जिस पर 'ए से बी' इसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त राजू को धारा 52

एन.डी.पी.एस. एक्ट का कारण गिरफ्तारी नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी-21 है, जिस पर 'सी से डी' इसके, 'ई से एफ' राजू के, 'जी से एच' जन्टा सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजू प्रदर्श पी-22 है, जिस पर 'सी से डी' इसके, 'ई से एफ' राजू के, 'जी से एच' बूटा सिंह, 'आई से जे' जन्टा सिंह, के हस्ताक्षर है। जामा-तलाशी में अभियुक्त राजू के पास उसके पहने हुये कपड़ों में धारा 52 की प्रति मिली। दिनांक 20.07.2017 को मांगीलाल की इत्तला पर सहजीपुरा हेतु रवानगी रोजनामचा रजिस्टर में दर्ज की, जो प्रदर्श पी-28 है। बाद अनुसन्धान इसके द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली एस.एच.ओ. लालगढ़ को आगामी कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दी गयी। मुल्जिमान आज हाजिर अदालत है। इसके अलावा इसने इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त राजू मान से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। इस प्रकार इस गवाह के बयान से भी यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि इसने भी अपने अनुसंधान में यह कहीं नहीं पाया कि कथित बरामदगी के समय , बरामदगी स्थल पर ही सह-अभियुक्त मांगीलाल ने यह बताया हो कि उसने, उससे बरामदशुदा कथित डोडा पोस्त अभियुक्त राजू मान से खरीदा था। इसके अलावा इस गवाह/अनुसंधान अधिकारी के अपने बयान में किये गये उक्त कथनों से यह बात भी स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि अभियुक्त राजू मान के सम्बन्ध में इसे सह -अभियुक्त मांगीलाल ने दौराने पूछताछ बताया था और जब सह-अभियुक्त मांगीलाल के द्वारा कथित बरामदशुदा डोडा पोस्त को अभियुक्त राजू मान से खरीदकर लाने के संबंध जो इत्तला प्रदर्श पी-25 इसे दिया जाना यह गवाह बताकर आ रहा है, उस समय सह-अभियुक्त मांगीलाल पुलिस हिरासत में था, यह बात उक्त फर्द इत्तला प्रदर्श पी-25 के अवलोकन से साफ हो रही है। इस प्रकार उक्त सह-अभियुक्त मांगीलाल की कथित उक्त इत्तला प्रदर्श पी-25 उसकी संस्वीकृति की श्रेणी में आती है। इसके अलावा यह

गवाह/अनुसंधान अधिकारी अपने बयान में फर्द निशानदेही प्रदर्श पी-19, सौदा स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-20, हालात मौका प्रदर्श पी-20 ए, नोटिस अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी-21, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजू मान प्रदर्श पी-22 पर बतौर गवाह, जन्टा सिंह के हस्ताक्षर होना बताकर आ रहा है, जिसके बतौर गवाह पी.ड. 8, बयान को यदि देखा जाये, तो यह पक्षद्रोही घोषित हुआ है और इसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन कर कि दिनांक 20.07.2017 को इसके समक्ष मांगीलाल ने गाँव-सहजीपुरा में खेत में बनी ढाणी के आगे पहुँचकर हाथ से ईशारा कर राजू मान का मकान होना एस.आई. राजेन्द्र को नहीं बताया और ना ही मांगीलाल ने यह बताया कि वह राजू मान से डोडा पोस्त खरीदकर ले गया था, इस गवाह/अनुसंधान अधिकारी के इस सम्बन्ध में अपने बयान में रहे उपरोक्त कथनों की किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा यद्यपि इस गवाह जन्टा सिंह ने अपने बयान में प्रदर्श पी-20 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-21 धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कारण गिरफ्तारी नोटिस, प्रदर्श पी-22 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी, प्रदर्श पी-23 फर्द खाना तलाशी पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन अवश्य किया है, परन्तु साथ ही इसने, इनके सम्बन्ध में यह कथन कर कि प्रदर्श पी-20 नक्शा मौका, प्रदर्श पी-21 धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कारण गिरफ्तारी नोटिस, प्रदर्श पी-22 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी एवं प्रदर्श पी-23 फर्द खाना तलाशी, इसके समक्ष तैयार नहीं किये गये और इसके थाना में लाकर इसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त सभी फर्दों में वर्णित बातों को संदेहास्पद बना दिया है। इस प्रकार गवाह पी.ड. 8 जन्टा सिंह की साक्ष्य से, इस गवाह/अनुसंधान अधिकारी के अपने बयान में रहे उपरोक्त कथनों को किसी भी प्रकार से कोई समर्थन नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि हम फर्द निशानदेही प्रदर्श पी-19, सौदा स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-

20, हालात मौका प्रदर्श पी-20 ए, नोटिस अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी-21, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजू मान प्रदर्श पी-22 का अवलोकन करें, तो उक्त फर्दात् पर बतौर गवाह सतनाम सिंह के भी हस्ताक्षर होना दर्शित हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में इस गवाह/अनुसंधान अधिकारी का अपने बयान में कोई भी स्पष्ट कथन नहीं रहा है। इस गवाह सतनाम सिंह के बयान को यदि हम देखें, जो कि अभियोजनपक्ष की ओर से बतौर गवाह पी.ड. 6 पेश हो परीक्षित हुआ है, तो यह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है और इसने भी अपने बयान में फर्द निशानदेही प्रदर्श पी-19, नक्शा मौका सौदा स्थान प्रदर्श पी-20, नोटिस अन्तर्गत धारा 52 एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रदर्श पी-21, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राजू मान प्रदर्श पी-22 एवं फर्द खाना तलाशी मकान राजू प्रदर्श पी-23 के इसके सामने नहीं बनाये जाने के, इसके, पुलिस के द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने के, इसके, मुल्जिमान को नहीं जानने के, दिनांक 20.07.2017 को पुलिस के आरोपी मांगीलाल को लेकर चोटियावाली ढाणी नहीं आने के, पुलिस के द्वारा इसके कोई बयान नहीं लिये जाने के, पुलिस बयान प्रदर्श पी-24 के 'ए से बी' भाग को पुलिस को नहीं दिये जाने के, दिनांक 20.07.2017 को पुलिस के इनके गाँव नहीं आने के एवं इसके द्वारा किसी मुल्जिम को कभी नहीं देखने के स्पष्ट कथन कर ना केवल इस गवाह /अनुसंधान अधिकारी के अभियुक्त राजू मान के सम्बन्ध में अपने बयान में रहे उपरोक्त कथनों को , बल्कि इस सम्बन्ध में रहे सम्पूर्ण अभियोजन मामले को ही संदेहास्पद बना दिया है। इसके अलावा इस गवाह सतनाम सिंह ने इस बात को भी स्पष्टतया गलत बताया है कि राजू पोस्त बेचता हो और इसके सामने मांगीलाल ने आरोपी राजू के मकान की निशान देही की हो। इस प्रकार इस गवाह सतनाम सिंह की साक्ष्य से भी इस गवाह/अनुसंधान अधिकारी के अपने बयान में रहें उपरोक्त कथनों को कोई समर्थन नहीं मिलता है। इसके अलावा इस

गवाह/अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयान में फर्द खाना तलाशी मकान राजू प्रदर्श पी-23 के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट कथन नहीं किया है और ना ही इसका इस सम्बन्ध में कोई भी कथन रहा है कि इसके द्वारा अभियुक्त राजू मान के सम्बन्ध में दौराने अनुसंधान अन्य कोई सुदृढ़ साक्ष्य जैसे कॉल डिटेल, इत्यादि ली गयी हो। इसके अलावा इसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त राजू मान से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकार इस गवाह पी.ड. 7 राजेन्द्र कुमार पुत्र मनफूल, अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से अभियुक्त राजू मान पर आरोपित उपरोक्त अपराध के सम्बन्ध में रहे अभियोजन मामले की पुख्ता तौर पर किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं होती है।

इसके अलावा अभियोजनपक्ष की ओर से पेश हो परीक्षित हुए अन्य गवाहों की साक्ष्य से भी यह बात किसी भी प्रकार से पुख्ता तौर पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है कि अभियुक्त राजू मान ने उस पर आरोपित उपरोक्त अपराध कारित किया हो।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के अनुक्रम में यहाँ यही कहा जाना उचित होगा कि अभियोजनपक्ष, इस बात को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में किसी भी प्रकार से सफल नहीं रहा है कि अभियुक्त राजू मान ने दिनांक 18.07.2017 को करीब 2.40 पी.एम. से 4.30 पी.एम. के मध्य पुलिस थाना-लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर की सीमाओं में अवस्थित हनुमानगढ़ रोड़ सदाबहार होटल के पास अथवा इससे पूर्व किसी समय, डोडा पोस्त के क्रय-विक्रय हेतु परस्पर सहमत होकर सह-अभियुक्त मांगीलाल को डोडा पोस्त विक्रय कर आपराधिक षड़यंत्र कारित किया, जिसके अनुसरण में दिनांक 18.07.2017 को समय करीब 2.40 पी.एम. से 4.30 पी.एम. के मध्य, पुलिस थाना-लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर की सीमाओं में अवस्थित हनुमानगढ़ रोड़ सदाबहार होटल के पास सह-अभियुक्त मांगीलाल के हाथ में पकड़े कट्टे से अर्थात् उसके अनन्य व

सचेतन कब्जे से 8 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ, जिसको रखने का उसके, सह-अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र एवं लाइसेंस नहीं था, अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त राजू मान उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किये जाने का अधिकारी पाया जाता है।

-::<u>आदेश</u>::-

08. परिणामतः अभियुक्त राजू मान पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, उम्र-26 वर्ष (आरोप-पत्र प्रस्तुति के समय), निवासी-सहजीपुरा, पुलिस थाना-सदर हनुमानगढ़, जिला-हनुमानगढ़ (राज.) को धारा 8/15 सपठित धारा 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त उक्त के द्वारा पूर्व में इस प्रकरण में न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में अन्य अभियुक्त मांगीलाल मफरूर है, इसलिये पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे, इस आशय का नोट लाल स्याही से पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लगाया जावे।

(दीपा शर्मा)

09. यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(दीपा शर्मा)